

श्रीमान जी  
 पटवारी रिपोर्ट दिनांक 4/10/25  
 ग्राम राजगढ़ के खता सं 201 में जमीने विरासत काना पुग रामदीन हि. 1/2  
 क्र. सं. 1 पर दर्ज है। मुताबिक संलग्न दस्तावेज आधार पर एव मतदाता पत्तान पत्र 2462220929  
 के अनुसार जमीन का मालिक कन्हैया लाल सुनारीवाल पुग रामदीन सुनारीवाल है अतः  
 जमाबंदी खता संख्या 201 में काना पुग रामदीन के स्थान पर कन्हैया लाल सुनारीवाल पुग  
 रामदीन सुनारीवाल किया जाना उचित होगा।

श्रीमान जी,  
 भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, संलग्न आधार कांड, मतदाता पत्तान पत्र, खता संख्या 201 में काना पुग रामदीन के स्थान पर कन्हैया लाल सुनारीवाल पुग रामदीन सुनारीवाल दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

तहसीलदार की रिपोर्ट  
 मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं भू. अ. निरीक्षक की जांच के आधार पर इन्द्राज दुरुस्ती की अधिशेष की जाती है।

2025  
 589

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक / 328

दिनांक:- 7-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्बन्ध ..... के खता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	इन्द्राज में इन्द्राज दुरुस्ती सिद्ध नहीं होने के कारण पुनः खसरा किया जाता है।					

दिनांक:- 5402-03

दिनांक - 7-10-25



प्रभारी अधिकारी एवं अभिलेख अधिकारी  
 नसीराबाद, जिला अजमेर

उत्तर लिपि :-  
 1) तहसीलदार नसीराबाद के पास  
 2) खसरा पत्रावली